अध्याय–17

उच्चतम न्यायालय
(Supreme Court)

न्यायपालिका का महत्त्व प्राचीन समय से ही रहा है। अरस्तु के समय से ही न्यायपालिका को सरकारी तंत्र का आधारभूत अंग माना जाता है। रामायण एवं महाभारत काल में भी न्यायपालिका द्वारा कानून का उल्लंघन करने वाले एवं अपराध करने वाले व्यक्तियों को दण्डित करने का कार्य किया जाता था। रामायण एवं महाभारत काल में राजा ही न्याय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था और न्यायपालिका की समस्त षक्तियाँ राजा में ही निहित होती थी।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी न्याय की स्थापना के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता पर बल दिया गया था। कौटिल्य ने न्यायपालिका के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि प्रजा सोती है और दण्ड जागता है अर्थात् न्याय की स्थापना के लिए राजा दण्ड का प्रयोग करता था।

वर्तमान समय में जब राजतंत्र समाप्त हो गया और विश्व में लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही न्यायपालिका के स्वरूप में भी परिवर्तन आया।

न्यायपालिका के अर्थ को स्पष्ट किया जाये तो साधारण अर्थ में कानून की व्याख्या करने व उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दण्डित करने की संस्थागत व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। लास्की ने न्यायपालिका की परिभाषा करते हुए लिखा है कि ''एक राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित की जा सकती है, जिसका कार्य राज्य के किसी कानून विशेष के उल्लंघन या तोड़ने सम्बन्धी शिकायत का समाधान या फैसला करती है।

हैमिल्टन के अनुसार ''न्यायिक प्रक्रिया न्यायाधीशों के द्वारा मुकदमों का निर्णय करने की मानसिक प्रविधि को कहा जाता है।''

न्यायपालिका के कार्य (Functions of the Judiciary)

न्यायपालिका का प्रमुख कार्य संविधान की रक्षा करना तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना तथा अपराध करने वाले व्यक्तियों को दण्डित करना है। न्यायपालिका के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :–

(1) संविधान की सुरक्षा करना (To safeguard the constitution)

न्यायपालिका का प्रमुख कार्य संविधान की रक्षा करना है उसका प्रमुख कार्य यह देखना है कि शासन संविधान के अनुसार चल रहा है कि नहीं यदि शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो संविधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संस्थाओं को दण्डित करती है और यह प्रयास करती है कि शासन संविधान के अनुसार चले।

(2) प्रशासकीय निर्णयों का पुनरावलोकन (Review of the Administrative Decisions)

न्यायपालिका का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य यह है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाये गये उन कानूनों को अवैध घोषित करना, जो संविधान के अनुकूल नहीं हैं। न्यायपालिका अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से उन कानूनों को अवैध घोषित कर देती है जो संविधान से मेल नहीं खाते।

(3) कार्यपालिका को कानूनी सलाह देना (To give legal advice to the Executive)

कार्यपालिका यदि किसी कानूनी प्रश्न पर स्वयं निर्णय नहीं ले पाये तो ऐसी स्थिति में वह न्यायपालिका से कानूनी सलाह माँग सकती है। भारत में कार्यपालिका ने राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद सम्बन्धी विषय पर कानूनी सलाह माँगी थी।

(4) प्रक्रियात्मक नियम निर्माण (Formation of Procedural Laws)

न्यायपालिका का यह कार्य भी है कि वह अपनी कार्यप्रणाली के संचालन के नियम स्वयं बनाती है और सम्पूर्ण न्यायपालिका शीर्ष से लेकर नीचे तक उसी प्रक्रियात्मक नियम के अन्तर्गत कार्य करते हैं।

(5) न्यायालय के आन्तरिक प्रशासन की व्यवस्था करना

(Menagement of the Internal Administration of the Court of Law)

न्यायपालिका अपने प्रशासन को चलाने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति और भर्ती का कार्य करती है तथा इन कर्मचारियों

पर नियंत्रण और स्थानान्तरण सम्बन्धी सभी कार्य न्यायपालिका द्वारा ही किये जाते हैं।

(6) निषेधात्मक आदेश जारी करना (To Issue Prohibitory Ordinances)

न्यायपालिका कई बार किसी कार्य के प्रति या कानून के प्रति निषेधात्मक आदेश जारी करती है। न्यायपालिका कुछ समय के लिए निषेधात्मक आदेश के द्वारा किसी कार्य को करने से रोक सकती है।

(7) पूर्व–निर्णयों का पुनरावलोकन (Review of Previous Decisions)

न्यायपालिका द्वारा पूर्व में लिये गये उन निर्णयों में परिवर्तन कर सकती है जो स्वयं के द्वारा दिये गये थे।

(8) न्यायिक समीक्षा या पुनरावलोकन (Judicial Review)

न्यायिक पुनरावलोकन से अभिप्राय है कि न्यायालय द्वारा व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के कार्यों की वैधता की जाँच करना अर्थात् ऐसे कानूनों एवं नीतियों को अवैध घोषित करना, जो संविधान के किसी अनुच्छेद का अतिक्रमण करते हों।

कारविन के शब्दों में न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ न्यायालय की उस शक्ति से है, जो उसे अपने न्याय क्षेत्र के अन्तर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के सम्बन्ध में तथा कानूनों को लागू करने के सम्बन्ध में प्राप्त है जिन्हें वे अवैध और व्यर्थ समझते हैं।

अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मार्शल ने 1803 में मारबरी बनाम मेडीसन के मामले में ''ज्यूडिशियल रिव्यू की व्याख्या करते हुए कहा था कि न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालयों द्वारा अपने समक्ष पेश विधायी कानूनों तथा कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक कार्यों का वह निरीक्षण है जिसके द्वारा वह निर्णय करता है।

न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धान्त का विकास लगभग दो सदी पुराना है। न्यायिक पुनरावलोकन के इस सिद्धान्त का उद्‌भव संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली में सर्वप्रथम दिखलाई पड़ता है। कालान्तर में भारत, जापान आदि देशों में भी इस सिद्धान्त का विकास हुआ। प्रायः अधिकांश देशों में सर्वोच्च न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति संविधान प्रदत्त नहीं है अपितु न्यायालयों ने इसे हस्तगत किया है। धीरे–धीरे न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार एक महति परिपाटी बन गया।

भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का उल्लेख संविधान के उपबन्धों में कहीं नहीं मिलता। फिर भी न्यायिक निरीक्षण के सिद्धान्त के आधारभूत तत्वों की मौजूदा स्थिति के कारण इस सिद्धान्त का स्वतः ही विकास हुआ। उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णयों में इसका प्रयोग किया और कार्यपालिका संसद के कार्यों तथा विधियों को असंवैधानिक घोषित किया जो संविधान के प्रावधानों के विरूद्ध थे।

न्यायपालिका का महत्त्व (Relevance of Judiciary)

न्यायपालिका का महत्त्व इसके कार्यों के आधार पर स्वयं–सिद्ध है। न्यायपालिका एक तरफ संविधान की रक्षा करती है वहीं दूसरी तरफ समाज की आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार कानून के महत्त्व को स्पष्ट करती है। न्यायपालिका की दण्ड की शक्ति के भय से अपराधी अपराध करने से भय खाता है और अपराधों में अंकुश के कारण ही समाज में शान्ति और व्यवस्था बनी रहती है। संक्षेप में न्यायपालिका के महत्व को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है :–

(1) संविधान के रक्षक के रूप में महत्त्व (Relevance as the Saviour of the Constiution)

न्यायपालिका का महत्त्व इस रूप में प्रकट है कि वह संविधान के रक्षक के रूप में पहचानी जाती है। यदि कोई संविधान पर प्रहार करने की कोशिश करता है तो न्यायपालिका प्रहरी की भांति उसकी रक्षा करती है। यदि न्यायपालिका का अस्तित्व नहीं होगा तो संविधान का कोई अर्थ नहीं होगा क्योंकि न्यायपालिका ही वह तंत्र है जो संविधान की रक्षा का कार्य करती है।

(2) मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में महत्त्व (Relevance as the Patron of Fundamental Rights)

न्यायपालिका का महत्त्व इसमें निहित है कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यदि राज्य कोई संस्था या व्यक्ति नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हुए हनन करने वाले को दण्डित करने का कार्य करती है। अतः न्यायपालिका का महत्त्व मौलिक अधिकारों के संरक्षक में रूप में स्वयं–सिद्ध है।

(3) शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के रूप में महत्त्व (Relevance as the safeguard of Peace and Order)

न्यायपालिका समाज में कानूनों के संतुलन को स्थापित कर समाज को विवादों से बचाती है जिससे शान्ति और व्यवस्था बनी रहती है तथा नागरिकों की आस्था कानून के प्रति बनी रहती है।

(4) सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के रूप में महत्त्व (Relevance as Social and Economic Changes)

न्यायपालिका सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का अग्रदूत मानी जाती है क्योंकि यह सामाजिक और आर्थिक विकास में सहयोग करने का कार्य भी करती है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारने तथा आर्थिक विकास के लिए नियम बनाने की हिदायत देती है जैसे भारत में कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर उत्पीड़न से बचाने के लिए सरकार को नियम बनाने के निर्देश दिये गये। इसी तरह पर्यावरण सुधार और न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की सलाह शामिल है।

अतः न्यायपालिका का महत्त्व वर्तमान समय में बढ़ गया है। उस स्थिति में न्यायपालिका का महत्त्व और बढ़ जाता है जब कार्यपालिका उदासीन रहकर कार्य करे।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य संघात्मक ढांचे की रक्षा करना है। पायली के अनुसार ''उच्चतम न्यायालय संघीय शासन प्रणाली का अनिवार्य अंग है। यह संविधान की व्याख्या करने वाला सर्वोच्च प्राधिकारी है, साथ ही यह संघ तथा राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय करने वाला अन्तिम अधिकरण है।''

इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय संविधान की व्याख्या का कार्य करता है। उच्चतम न्यायालय ही भारत में मौलिक अधिकारों का रक्षक व प्रहरी माना जाता है।

गम्भीर पेचीदा कानूनी उलझनों पर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने का कार्य भी करता है जिन विषयों के बारे में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगता है उनके बारे में उच्चतम न्यायालय उचित परामर्श देता है।

उच्चतम न्यायालय भारत में सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन का अग्रदूत भी माना जाता है क्योंकि यह संवैधानिक व साधारण कानूनों की प्रगतिवादी व्याख्या करके लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में कार्य करता है।

भारतीय संविधान में न्याय व्यवस्था के एकीकृत स्वरूप को अपनाया गया है। हमारी न्याय प्रणाली की यह विशेषता है कि यह सम्पूर्ण देश के लिए एकबद्ध और एकीकृत है। एकीकृत न्याय व्यवस्था से तात्पर्य है कि भारतीय न्याय प्रणाली न्याय की एक सीढ़ीनुमा व्यवस्था है जो एक के बाद एक अर्थात् एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय से जुड़ी हुई है। सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय है, उसके बाद राज्यों के उच्च न्यायालय और उसके बाद अधिनस्थ न्यायालय, जो कि भारत के अन्य भागों में कार्य करते हैं। भारतीय न्याय प्रणाली के एकीकृत स्वरूप को निम्नलिखित रेखाचित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है :

भारतीय न्याय प्रणाली : संरचना

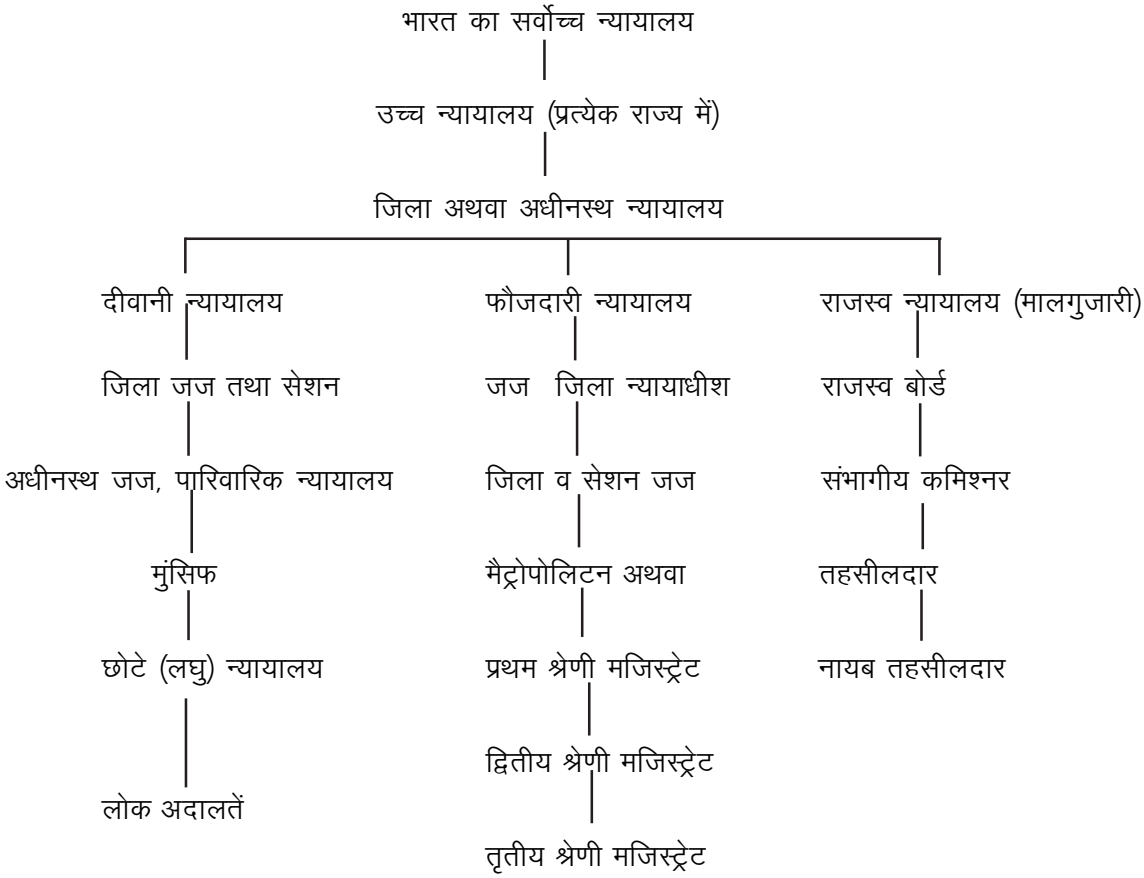

उच्चतम न्यायालय का संगठन (Organisation of the Supreme Court)

अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। भारत का उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है। यह भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of the Judges)

अनुच्छेद 124 (3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान में इस बात का प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय मंत्रिमण्डल के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति ''स्वविवेक'' से करता है। अतः इस सांविधानिक उपबन्ध की प्रकृति अनुशासनात्मक है, बाध्यकारी नहीं।

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों, जिनको वह उचित समझता है, परामर्श कर सकता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। साधारणतया सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है किन्तु इसमें राष्ट्रपति की सहमति महत्त्वपूर्ण है।

न्यायाधीशों की संख्या (The Number of the Judges)

संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या प्रारम्भ में मुख्य न्यायाधीश सहित आठ निश्चित की गई थी। परन्तु संसद को विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है। वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व 25 अन्य न्यायाधीश हैं। अतः उच्चतम न्यायालय में कुल 26 न्यायाधीश हैं। भारतीय संसद कानून बनाकर इनकी संख्या को निश्चित कर सकती है।

न्यायाधीशों की योग्यताएँ (The Qualifications of the Judges)

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है :–

1. वह भारत का नागरिक हो,
2. वह किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, अथवा
3. वह किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका है, अथवा
4. राष्ट्रपति की दृष्टि में वह कोई प्रख्यात विधिवेत्ता हो।

न्यायाधीशों का कार्यकाल (Tenure)

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर सकते हैं। कोई भी न्यायाधीश इस अवधि से पहले अपनी इच्छानुसार त्यागपत्र दे सकता है।

पदच्युति व महाभियोग (Dismissal and Inpeachement)

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ''प्रमाणित कदाचार'' और असमर्थता के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। इस प्रकार के महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। यदि संसद दोनों सदनों में अलग–अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई मत से प्रस्ताव पास कर दे। इस सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि न्यायाधीशों के विरूद्ध महाभियोग का प्रस्ताव एक सत्र में स्वीकार होना चाहिए। साथ ही न्यायाधीश को अपने पक्ष के समर्थन करने का पूरा अवसर प्रदान किया जाता है। संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पास होने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष भेजा जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति उस न्यायाधीश के पदच्युति आदेश जारी कर देता है।

भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में अब तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है। लेकिन 1989 में न्यायमूर्ति वी0 रामास्वामी पर अनियमितता बरतने के आरोप में लोकसभा के 108 सदस्यों ने महाभियोग लगाने की मांग की। उन पर यह आरोप था कि जब वे पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे, तब उन्होंने न्यायाधीश पद पर रहते हुए सरकारी धन के उपयोग में अनियमितता बरतने का आरोप था। न्यायाधीश पी0 बी0 सावन्त की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय जांच समिति नियुक्त की गई। 20 जुलाई, 1992 को प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया कि ''न्यायमूर्ति रामास्वामी ने पद पर रहते हुए जानबूझ कर धन का दुरूपयोग किया, सरकारी धन की इरादतन और आदतन फिजूलखर्ची की, सरकारी धन का निजी जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया और विधायी नियमों का लगातार उल्लंघन किया।

संसदीय इतिहास में पहली बार वी0 रामास्वामी के खिलाफ 10 मई, 1993 को मार्क्सवादी दल के नेता सोमनाथ चटर्जी ने महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 15 घण्टों की बहस के बाद महाभियोग प्रस्ताव आवश्यक बहुमत के अभाव में गिर

गया। लेकिन प्रस्ताव गिरने के तुरन्त बाद न्यायमूर्ति रामास्वामी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया।

वेतन तथा भत्ते (Salary and Allowances)

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते भारत की संचित निधि में से दिये जाते हैं। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते या पेंशन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। यदि देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाये तो राष्ट्रपति ही न्यायाधीशों के वेतन में कटौती कर सकता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश को 1,00,000 रूपये प्रतिमाह वेतन मिलता है तथा अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रूपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों को निःशुल्क आवास, फर्नीचर सहित कार्यालय उपलब्ध कराया जाता है। सेवानिवृति होने पर न्यायाधीशों को संसद द्वारा समय–समय पर निश्चित की गई पेन्शन मिलती है।

कार्यवाही एवं गणपूर्ति (The proceedings and the Quorum)

उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही खुले न्यायालय में की जाती है। उसके निर्णय बहुमत के आधार पर सबके सामने उद्घोषित किये जाते हैं जो न्यायाधीश बहुमत के निर्णय से सहमत नहीं होते हैं उन्हें अपने अल्पमत निर्णय की घोषणा करने का अधिकार होता है। संविधान न्यायालय की इस कार्यवाही के बारे में न्यायालय की न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं करता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145(3) में इस बात की व्यवस्था है कि संवैधानिक निर्णय के लिए कम से कम पांच न्यायाधीश होंगे। दूसरे शब्दों में संवैधानिक विषयों की सुनवाई एवं निर्णय के लिए कम से कम पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का होना आवश्यक है।

तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति (The Appointment of Adhoc Judges)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद (127) के अनुसार जब किसी समय उच्चतम न्यायालय के किसी सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए गणपूर्ति न हो (स्थाई न्यायाधीशों का अभाव हो) तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय की बैठकों में उतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और अधिकार–क्षेत्र (Powers and Jurisdiction of Sureme Court)

भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है जिससे न्यायालय, संविधान व लोकतंत्र की रक्षा करने में सक्षम बन सके। भारत के उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित अधिकारिता प्राप्त हैं:–

(1) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार
(2) अपीलीय क्षेत्राधिकार
(3) परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार
(4) अभिलेख न्यायालय
(5) संविधान का रक्षक एवं मूल अधिकारों का प्रहरी
(6) अपील की विशेष आज्ञा
(7) अपमान के लिए दण्डित करने का अधिकार

(1) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (Original Elementary Jurisdiction)

संविधान के अनुच्छेद (131) के अनुसार कुछ ऐसे विवाद हैं जो केवल सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं जिनकी कोई अन्य न्यायालय सुनवाई नहीं कर सकता और जिन्हें किसी अन्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। उनको सीधे उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है अर्थात् प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार में आने वाले विवादों की सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है। यह क्षेत्राधिकार निम्नलिखित प्रकार के हैं:–

(i) भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद।
(ii) वे विवाद जिसमें भारत सरकार तथा एक या एक अधिक राज्य एक ओर हो, तथा एक या एक से अधिक राज्य दूसरी ओर हो।
(iii) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद।

(2) अपीलीय क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 132) [Appellate Jurisdiction (Article 132)]

उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है उसे सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था होने से राज्यों के न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन है और उसे उच्च न्यायालय के अधीक्षण व नियंत्रण का अधिकार है। भारत का उच्चतम न्यायालय सारे देश में स्थित उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण (सैनिक न्यायाधिकरण को छोड़कर) के सांविधानिक, दीवानी और फौजदारी निर्णयों के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार है। वह स्वयं अपील की विशेष आज्ञा दे सकता है।

भारतीय उच्चतम न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकार निम्न प्रकार से है :–

(1) सांविधानिक विवाद में अपील (Constitutional) :

सांविधानिक विवादों में उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में तभी अपील की जा सकती है जब उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में ''संविधान की व्याख्या से सम्बन्धित विधि का कोई सारवान प्रश्न निहित हो।'' यदि उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाण पत्र देने से मना कर दे तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 136 के अनुसार स्वयं अपील की विशेष आज्ञा दे सकता है। बशर्ते उच्चतम न्यायालय को यह विश्वास हो जाये कि इसमें कानून का कोई सारवान प्रश्न निहित है। सार्वजनिक महत्त्व के किसी विषय को सारवान की परिभाषा में नहीं लिया जा सकता।

(2) दीवानी मामले में अपील (Civil)

दीवानी विवादों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील तभी हो सकती है यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में विधि का कोई सारवान प्रश्न निहित है और विवाद उच्चतम न्यायालय में जाने योग्य है।

(3) फौजदारी विवाद में अपील (Criminal)

फौजदारी मुकदमों में उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित स्थितियों में अपील की जा सकती है :–

(i) जब उच्च न्यायालय ने निम्न न्यायालय द्वारा मुक्त किये गये अभियुक्त को मृत्यु दण्ड दे दिया हो, अथवा

(ii) जब उच्च न्यायालय में अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय से मुकदमें को मंगवाकर उसकी सुनवाई की हो, तथा अभियुक्त को मृत्युदण्ड दे दिया हो, अथवा

(iii) जब उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद पुनर्विचार के लिए उच्चतम न्यायालय में ले जाने के लिए उपयुक्त है।

(3) परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction)

भारतीय उच्चतम न्यायालय को एक ऐसा अधिकार प्राप्त है जिसका प्रयोग न तो अमेरिका न ही आस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय ने किया। यह क्षेत्राधिकार सार्वजनिक महत्त्व के प्रश्नों पर परामर्श या राय देने से सम्बन्धित है। जब कभी राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्यों के बारे में कोई ऐसा महत्त्वपूर्ण प्रश्न खड़ा है जिसके बारे में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लिया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार बाध्यकारी प्रकृति का नहीं है अर्थात् यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वह राष्ट्रपति को परामर्श दे या न दें।

अनुच्छेद 143(1) के अनुसार यह अनुच्छेद न तो राष्ट्रपति को बाध्य करता है कि सार्वजनिक महत्त्व के विषय पर उच्चतम न्यायालय की राय ले और न ही उच्चतम न्यायालय को बाध्य करता है कि राष्ट्रपति द्वारा भेजे गये विषयों पर अपनी राय दे। उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्यायिक निर्णय नहीं है अतः न तो राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य है और न ही भारत के अधीनस्थ न्यायालय इसे मानने के लिए बाध्य हैं। लेकिन बाध्यकारी न होते हुए भी सामान्यतः राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के परामर्श की पालना करता है।

(4) अभिलेख न्यायालय (Court of Record)

अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है अर्थात् उच्चतम न्यायालय एक प्रकार का न्यायिक संग्रहालय है। इसके द्वारा दिये जाने वाले निर्णयों को संग्रह (रिकार्ड) के रूप में रखा जाता है। देशभर के अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इसके निर्णय को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

(5) संविधान का रक्षक व मूल अधिकारों का प्रहरी

(Saviour of the Consitution and the Guard of Fundamental Rights)

भारत का उच्चतम न्यायालय संविधान का रक्षक व मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है जब कभी

संसद या विधान मण्डलों द्वारा ऐसे कानून बना दिये जाते हैं जो संविधान की धाराओं के अनुकूल नहीं होते, अर्थात् ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं तो न्यायालय उन्हें अवैध घोषित कर प्रभावहीन बना देता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने का विशेष दायित्व सौंपता है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने हेतु संविधान न्यायालय को बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण लेखों को जारी करने का अधिकार देता है। उदाहरणार्थ – उच्चतम न्यायालय ने फरवरी, 1979 में नजरबन्द विचाराधीन अपराधियों के बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख में इस कानून का निर्माण किया कि जिन नजरबन्द विचाराधीन अपराधियों पर तर्कसंगत समय से अभियोग नहीं लगाये गये उन्हें तत्काल छोड़ दिया जाये। पटना व मुजफ्फरपुर जिलों के 34 अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करते हुए इस तरह मौलिक अधिकारों की रक्षा की, साथ ही बिहार सरकार से उन विचाराधीन कैदियों की सूची की मांग की जिन पर 18 माह से अभियोग नहीं लगाया गया था। मानव अधिकारों की रक्षा के इतिहास में उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।

(6) अपील की विशेष आज्ञा (Special Permission for Appeal)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह ''स्वविवेक'' अपील की विशेष आज्ञा दे सकता है। उच्चतम न्यायालय भारत में किसी भी उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय, अज्ञप्ति, निर्धारण, दण्ड या आदेश के विरूद्ध अपील की विशेष आज्ञा प्रदान कर सकता है चाहे उच्च न्यायालय ने अपील की आज्ञा देने से मना कर दिया हो। उच्चतम न्यायालय पीड़ित पक्ष को अपील की विशेष आज्ञा उस स्थिति में दे सकता है जब उसे अपील का अधिकार नहीं है।

न्यायालय इसका प्रयोग प्रायः तभी करता है जब घोर अन्याय को दूर करने अथवा न्याय को बढ़ाने की आवश्यकता होती है।

(7) अपमान के लिए दण्डित करने का अधिकार (Right to Sentence for Contempt)

न्यायालय द्वारा सुनाये गये निर्णयों को आलोचना से मुक्त रखा गया है। न्यायाधीशों पर यह आरोप नहीं लगाये जा सकते कि उनके निर्णय प्रेरणा या हित से प्रभावित हैं। यदि कोई न्यायालय का तिरस्कार या अपमान करता है या उसकी आज्ञाओं की उपेक्षा करता है तो न्यायालय उसे दण्डित करने का अधिकार रखता है।

न्यायालय सार्वजनिक कल्याण या शैक्षणिक दृष्टि से किये गये उचित आलोचनात्मक विवेचन को अपमान नहीं मानता है, परन्तु न्यायाधीशों की निष्पक्षता को प्रभावित करना या न्यायालय की कार्यवाही में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाधा उपस्थित करना या न्यायाधीशों व न्यायालय के प्रति घृणा फैलाना या बदनीयति से उन पर आक्षेप करना अवश्य ही न्यायालय का अपमान है। अवमानना के मामले में न्यायालय ने कड़ा रूख अपनाया है। उसने अवमानना के मामले में दोषी पाये गये व्यक्तियों, पदाधिकारियों व सरकारों सभी को दण्डित किया है। उदाहरणार्थ 24 अक्टूबर, 1994 को भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को (बाबरी मस्जिद ढहने के प्रश्न पर) एक दिन की प्रतीकात्मक कैद और 2000 रूपये जुर्माने की सजा दी।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार को छोड़कर भारतीय उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ विश्व के किसी भी सर्वोच्च न्यायलय से अधिक है। अपीलीय क्षेत्राधिकार में उसकी शक्तियाँ अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय से अधिक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के सांविधानिक, दीवानी और फौजदारी निर्णयों के विरूद्ध अपील सुन सकता है। यह देश के निम्न न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के निर्णय के विरूद्ध अपील की विशेष आज्ञा दे सकता है। वस्तुतः भारतीय उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ ''कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया'' के कारण मर्यादित हैं, जबकि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ ''कानून की उचित प्रक्रिया'' के कारण अमर्यादित हैं। यही कारण है कि जहाँ अमरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने ''परम विधानसभा'' का रूप ग्रहण कर लिया है, वहाँ भारत का उच्चतम न्यायालय यह रूप ग्रहण नहीं कर सकता है।

उपर्युक्त शक्तियों एवं कार्यों के अतिरिक्त सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित कार्य भी सम्पादित करता है :–

(i) सर्वोच्च न्यायालय सामाजिक परिवर्तन का शक्तिशाली अभिकरण है। इसके अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों ने सामाजिक परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

(ii) इसने पर्यावरण की रक्षा करने की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण कार्य किया, निर्णयों के कारण आवासीय वस्तुओं में प्रदूषण फेलाने वाले उद्योगों को बन्द करने का निर्णय लिया।

(iii) उच्चतम न्यायालय की भूमिका के कारण अनेक राजनीतिक घोटालों की जाँच में सक्रियता आयी है।

अतः भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं प्रशासन में उच्चतम न्यायालय की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- **न्यायपालिका का अर्थ** :– कानून की व्याख्या करने व उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दण्डित करने की संस्थागत व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है।
- **न्यायपालिका के कार्य** :– संविधान की रक्षा करना, प्रशासकीय नियमों का पुनरावलोकन करना, कार्यपालिका को कानूनी सलाह देना, प्रक्रियात्मक नियमों का निर्माण करना, न्यायालय के आन्तरिक प्रशासन की व्यवस्था करना, निषेधात्मक आदेश जारी करना, पूर्व निर्णयों का पुनरावलोकन करना।
- **न्यायपालिका का महत्त्व** :– संविधान की रक्षक के रूप में, मौलिक अधिकार के संरक्षक के रूप में, शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के रूप में, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के रूप में महत्त्व।
- **एकीकृत न्याय व्यवस्था** :– भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है जो शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय व जिला व खण्ड स्तर पर जिला व सत्र न्यायालय की स्थापना की गई है।
- **उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति** :– उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जो उसकी नजर में विधि का प्रख्यात वेत्ता हो, या उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो या किसी उच्च न्यायालय में दस वर्ष तक एडवोकेट रह चुका हो।
- **महाभियोग** :– उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है जो संसद के दोनों सदनों के दो–तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे।
- **वेतन–भत्ते** :– उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 1,00,000 रूपये प्रतिमाह व अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रूपये प्रतिमाह मिलते हैं।
- **कार्यवाही एवं गणपूर्ति** :– उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही खुले न्यायालय में की जाती है, इसके निर्णय बहुमत के आधार पर दिये जाते हैं। संवैधानिक निर्णयों के लिए पॉच न्यायाधीशों की सांविधानिक पीठ का होना अनिवार्य है।
- **तदर्थ नियुक्ति** :– जब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या गणपूर्ति के योग्य न हो तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थाई रूप से तदर्थ नियुक्ति दे सकता है।
- **उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ एवं अधिकार** :– (1) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (2) अपीलीय क्षेत्राधिकार (3) परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार (4) अभिलेख न्यायालय (5) संविधा का रक्षक व मूल अधिकारों का प्रहरी (6) अपील की विशेष आज्ञा (7) अवमानना के लिए दण्डित करने का अधिकार।

अभ्यासार्थ प्रश्न

बहुचयनात्मक प्रश्न

1. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
   (अ) विधि मंत्री (ब) राष्ट्रपति
   (स) संसद (द) प्रधानमंत्री ( )
2. यदि राजस्थान व गुजरात के बीच कोई कानूनी विवाद खड़ा हो जाये तो उसकी सुनवाई कौनसा न्यायालय करेगा ?
   (अ) राजस्थान उच्च न्यायालय (ब) गुजरात उच्च न्यायालय
   (स) उच्चतम न्यायालय (द) तीसरे राज्य का न्यायालय ( )
3. परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त है ?
   (अ) उच्चतम न्यायालय को (ब) उच्च न्यायालय को
   (स) महाधिवक्ता को (द) सत्र न्यायालय को ( )
4. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है ?
   (अ) 60 वर्ष (ब) 65 वर्ष
   (स) 62 वर्ष (द) 58 वर्ष ( )

5. वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या है ?
   (अ) 13 (ब) 17
   (स) 25 (द) 21 ( )
6. उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है ?
   (अ) 1,00,000 रूपये (ब) 30000 रूपये
   (स) 33000 रूपये (द) 25000 रूपये ( )
7. भारत का अन्तिम अपीलीय न्यायालय कौनसा है ?
   (अ) उच्च न्यायालय (ब) उच्चतम न्यायालय
   (स) सैनिक न्यायालय (द) फौजदारी न्यायालय ( )
8. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार संविधान के कौनसे अनुच्छेद में निहित है ?
   (अ) 131 (ब) 260
   (स) 360 (द) 132 ( )

अति–लघुत्तरात्मक प्रश्न

1. भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था से क्या अर्थ है ?
2. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर सर्वप्रथम लाया जाता है ?
3. भारत का उच्चतम न्यायालय कहां स्थित है ?
4. किस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है ?
5. कम से कम कितने वर्ष तक उच्चतम न्यायालय के वकील रहने के बाद भारतीय नागरिक उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश चुना जा सकता है ?
6. वे कौनसे विवाद हैं जिन्हें केवल उच्चतम न्यायालय में ही उपस्थित किया जा सकता है ?
7. वह कौनसा विवाद है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को परामर्श देने से मना किया ?
8. उच्चतम न्यायालय की आवश्यक गणपूर्ति से क्या तात्पर्य है ?

लघुत्तरात्मक प्रश्न

1. उच्चतम न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिये।
2. उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है ?
3. उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय क्यों कहा जाता है ?
4. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से कब व कैसे हटाया जा सकता है ?
5. न्यायपालिका के दो महत्त्व लिखो।
6. न्यायपालिका के दो प्रमुख कार्य लिखिए।
7. न्यायालय की अवमानना से क्या तात्पर्य है ?
8. उच्चतम न्यायालय, आर्थिक–सामाजिक क्रान्ति का अग्रदूत क्यों माना जाता है ?

निबन्धात्मक प्रश्न

1. न्यायपालिका के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसके कार्य लिखिए।
2. न्यायपालिका के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।
3. उच्चतम न्यायालय के संगठन, क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों की व्याख्या कीजिये।

उत्तरमाला

(1) ब (2) स (3) अ (4) ब (5) स (6) अ (7) ब (8) अ